पत्रांक–2ब०/मु०मं०न०वि०यो०–08–02/2019 /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

के०डी० प्रौज्ज्वल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद में विमुक्त राशि के विरूद्ध लम्बित अवशेष राशि से, जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित 04 योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक– 4969, दिनांक– 27.07.2017 द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद की अवशेष राशि से जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा विधिवत् स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन कराने का निदेश सभी जिला पदाधिकारी को दिया गया था।

2. विभागीय संकल्प सं०– 5727, दिनांक– 06.11.2018 के आलोक में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०– 3092, दिनांक– 15.11.2018 द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत गठित सभी जिला शहरी विकास अभिकरण का विलय बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में दिनांक– 30.11.2018 के प्रभाव से हो चुका है। उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०– 6426, दिनांक– 10.12.2018 द्वारा सभी जिला शहरी विकास अभिकरण को अकार्यरत घोषित किया जा चुका है तथा विभागीय पत्रांक– 6197, दिनांक– 29.11.2018 के माध्यम से जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा राशि के भुगतान पर रोक लगायी गयी है।

3. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक– 98, दिनांक– 10.01.2019 द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिया गये है :–

i) मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद की अवशेष राशि से जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा विधिवत् स्वीकृत योजनाओं की सूची एवं अवशेष राशि (ब्याज सहित) बुडको को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जाय। योजनाओं का अग्रेतर क्रियान्वयन बुडको के द्वारा किया जाएगा।

ii) नागरिक सुविधा अन्तर्गत संचालन समिति द्वारा स्वीकृत वैसी योजनाएँ जिनमें अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, उन योजनाओं का प्राक्कलन भी बुडको को उपलब्ध करा दिया जाय। बुडको के स्तर से प्राक्कलन प्राप्त होने पर विभाग के स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी।

4. उक्त निदेश के आलोक में प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 419, दिनांक– 30.01.2019 द्वारा जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित नागरिक सुविधा मद की 04 योजनाओं के प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, बुडको, मुजफ्फरपुर द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक– 13.01.2016 को सम्पन्न मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक में उक्त 04 योजनाओं के कार्यान्वयन की अनुशंसा की गई है।

5. प्रबंध निदेशक, बुडको के उक्त अनुरोध के आलोक में नगर निगम, मुजफ्फरपुर एवं नगर पंचायत, काँटी में मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद की राशि से योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*
1.	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	नगर निगम मुजफ्फरपुर के वार्ड सं०– 41 अर्न्तगत तीन पोखरिया पोखर का सौन्दर्यीकरण।	84.75917
2.		नगर निगम मुजफ्फरपुर के वार्ड सं०– 38 अर्न्तगत महराजी पोखर का सौन्दर्यीकरण।	93.02149
3.		नगर निगम मुजफ्फरपुर के ब्रहमपुरा पोखर का सौन्दर्यीकरण।	128.80357
4.	नगर पंचायत, काँटी	काँटी नगर पंचायत के वार्ड सं0– 09 सूर्य मंदिर थाना के निकट छठ घाट का निर्माण कार्य।	46.72000
		कुल योग	**353.30423**

6. योजनाओं का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–

(i) उक्त स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जाएगा।

(ii) उक्त योजनाओं की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद की उपलब्ध वांछित राशि बुडको को अविलम्ब हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(iii) योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 2375, दिनांक–12.05.2008, विभागीय संकल्प सं०– 5158, दिनांक– 31.08.2010, विभागीय संकल्प सं०–2157, दिनांक– 05.09.2013 एवं विभागीय संकल्प सं०– 3576, दिनांक– 13.07.2015 के आलोक में किया जायेगा तथा योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग/विभागीय एम०आई०एस० सेल को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(iv) सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ई0टेण्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(v) उक्त योजना इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(vi) सभी योजनाओं हेतु कार्यस्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें विभाग को नाम, योजना का नाम, राशि तथा अन्य सूचानाएँ अंकित होंगी।

(vii) योजना की राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BCT-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/मु०मं०न०वि०यो०–08–02/2019 1323 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-27/2/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, काँटी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/19

सरकार के उप सचिव।